



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक-विप0-2/115/2018-1238

दिनांक- 16/7/2018

समस्त सभापति / सचिव,

कृषि उत्पादनमण्डी समितियाँ,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-17(क)(1)(ख) के अन्तर्गत मेन्था प्रसंस्करण इकाईयों को निर्यात पर मण्डी शुल्क/विकास सेस से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/1592/80-1-2018-600(17)/2018 दिनांक 10 जुलाई, 2018 जारी किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—यथोपरि।

(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

पृष्ठांकन पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, उ0प्र0।
3. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।

S-0

20/7/18

12/7/18
(जिरोन्द्र प्रताप सिंह)
अपर निदेशक (प्रशासन)

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या- 13/1592/80-1-2018-600(17)/2018
लेखनक्र: दिनांक-10 जुलाई, 2018

कार्यालय जाष

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम -1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा-17 के खण्ड(तीन) के उपखण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-170/80-1-2013-600(46)/88 दिनांक-28-01-2013 द्वारा मण्डी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ तथा ठोस पदार्थ निकालने के पश्चात् बचे अवशेष के, बिक्री के संब्यवहार पर कृषि उत्पाद के मूल्य का एक प्रतिशत मण्डी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत विकास सेस लिया जा रहा है।

2- कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-17(क)(1)(ख) के अन्तर्गत जिन मेन्था प्रसंस्करण इकाईयों को निर्यात पर मण्डी शुल्क/विकास सेस से छूट प्रदान की जायेगी, उनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था प्रभावी की जाती है कि उक्त छूट हेतु देय मण्डी शुल्क व विकास सेस की छूट के बराबर की धनराशि की बैंक गारण्टी निर्यातक के द्वारा निर्यात से पूर्व मण्डी समिति में जमा करवायी जायेगी, जिसे निर्यात दायित्व सिद्ध होने पर 30 दिन के भीतर बैंक गारण्टी अवमुक्त कर दिया जायेगा। एतदर्थ मण्डी शुल्क व विकास सेस की गणना निदेशक, मण्डी द्वारा नियमानुसार करते हुए बैंक गारण्टी की अपेक्षा की जायेगी।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

संख्या- 13(1)1592/80-1-2018-600(17)/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

DDA/ १२

१०.०७.१८
(जितेन्द्र प्रताप सिंह)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता दर्शावी शासन।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 7- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस प्रोत्साहन योजना से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 11- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
- 12- अपर कृषि निदेशक(मेन्था), कृषि भवन, लखनऊ।
- 13- आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 14- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र० निर्यात निगम, कानपुर।
- 15- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 16- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश को प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
- 17- उद्योग निदेशक, 30प्र०, कानपुर।
- 18- स्थानिक आयुक्त, 401 अम्बादीप, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
- 19- सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 20- सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
- 21- सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 22- सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली।
- 23- निर्यात आयुक्त, कार्यालय महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार, कक्ष संख्या-11 उद्योग भवन, नई दिल्ली।
- 24- अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) तीसरी मंजिल, एन०सी०य०आई० बिल्डिंग, अगस्त क्रान्ति मार्ग नई दिल्ली।
- 25- निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
- 26- निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
- 27- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री 30प्र०, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति का प्रकाशन आगामी असाधारण राजपत्र में कराते हुए विज्ञप्ति की 2000 (दो हजार) प्रतियां इस अनुभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 28- गार्ड फाईल।

आजा से,

बी०राम शास्त्री
विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।